ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री रणजीत सिंह	01.04.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री चंद्र पॉल	01.04.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डरवाड के लेखों की अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	1.09
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	40.88
3	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाने बारे	0.05
4	8(क)	रॉयल्टी से सम्बन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदार को भुगतान	4.74
5	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	0.06
6	09(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	8.45
7	09(ग)	बिना अनापति प्रमाण पत्र के निजी फर्म से सोलर लाईट/लाईट स्ट्रीट लाईट मैंटेनेंस(maintenance) क्रय करना	3.04

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01-10-2024 से 08-10-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	**03/23**	**03/23**
2023-24	**11/23**	**06/23**

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/18 दिनांक 08.10.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्रोत व अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत डरवाड के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्रोत व अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2884688.01	520143	3404831.01	1054304.38	2350526.63
2023-24	2350526.63	722187	3072713.63	835223.5	2237490.13

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **2237490.13**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank Name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2024 (₹)
H.P State cooperative Bank, Sajao Piplu	33610100662	Own source & other grants	2346530.13

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्त्रोत व अनुदान :-	
दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	**2237490.63**
दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	2346530.13
अन्तर की राशि	**-109040**

(ii) 15 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत डरवाड के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1476655	1162787	2639442	318343.87	2321098.13
2023-24	2321098.13	209180	2530278.13	861571.88	1668706.25

Bank Reconcilation as on 31 03-2024		
Balance as per cash book	1668706.25	
add:-interest of ₹13717 added in pass book but not taken in cash book	13717	**1682423.25**
Balance as per Pass book A/c no. 33610106521		**1682423.25**
Net Difference		**nill**

(iii) 14 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत डरवाड के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 14 वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है:-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	2614605	86386	2700991	2645668.98	55322.02
2023-24	55322.02	21955	77277.02	0	77277.02

Bank Reconcilation as on 31 03-2024	
Balance as per cash book	77277.02
Balance as per Pass book A/C No. 33610105818	**77277.02**
Net Difference	**nill**

(iv) मनरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	3271706.4	0	3271706.4	3271706.4	0
2023-24	0	5547269.3	0	5547269.3	5547269.3	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹01.09 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹109040** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाये ।

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की ख़ाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है , तथा इन कार्यों को पूरा किया जा चूका है अथवा नहीं | उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी ./2024 /GPDARWAD/06 दिनांक-03.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर अधियाचना संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूचित किया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। अत: अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते

तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए व् कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत डरवाड के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये ।

(ख) अनुदान ₹40.88 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.24 तक अनुदान ₹ 40,87,673.4 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(i),4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर के सम्बंध में अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया है । अतः दिनांक 01.04.22 से 31.03.24 तक वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी थी । सचिव ग्राम पंचायत डरवाड को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/05 दिनाँक:-03.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का रख-रखाव जल्द ही किया जाएगा । अतः गृह कर मांग तथा संग्रह रजिस्टर का नियमानुसार अनुरक्षण करते हुए वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख का अनुरक्षण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.05 लाख :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रसं.PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सुचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष

2022-23 से 2023-24 के दौरान रूपए 5000/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क (₹)**
1.	2022-23	3800
2.	2023-24	1200
	कुल जोड़	**5000**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2024) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था। जो की उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./ 2024/GPDARWAD/07 दिनांक:-04.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान

विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ₹600 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	दर्ज नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं की गयी	सुरजीत सिंह सुपुत्र श्री गुलाब सिंह	30.01.2024	20.02.2024	200	शून्य	200
2	दर्ज नहीं किया गया	202051	जोगिंदर सिंह सुपुत्र फार्म राम	06.07.2023	04.09.2023	400	200	200
3	दर्ज नहीं किया गया	202050	अंजना सुपुत्र श्री देव राज	21.02.2023	12.06.2023	400	200	200
कुल योग								**600**

सचिव ग्राम पंचायत डरवाड को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/08 दिनांक:-04.10.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि :-

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बंध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे की यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी ऐजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुक्सान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जानी थी, जोकि नियमो के विरुद्ध था। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या

डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/10 दिनांक-05.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी । जिसे अब हि० प्र० सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फ़र्निचर हीटर व पंखे ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं थे । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए केवल 4 कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लिकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा

उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गंभीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024/GPDARWAD दिनांक:-05.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. (क) रॉयल्टी से सम्बन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹04.74 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स'या 'डबल्यू' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे **रॉयल्टी** का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदारधविक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स"या "डबल्यू" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न **परिशिष्ट -"घ"** अनुसार ₹474014.50 का अनियमित भुगतान किया गया ।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- डीके/एम.ए.एन.डी.आई./एस4ए.डी./202./GPDARWAD/13 दिनांक 07.10.2024 दिनांक का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तीजनक है । अतः

उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.06 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 6330 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	वाउचर संख्या	मद का नाम	भुगतान राशि (excluded gst amount) (₹)	कटौती की दर	राशि (₹)
सामान्य निधि							
1	global trading co. general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	79	FFC/2022-23/P/45 dated:-26.03.2023	solar light maintenance	223040	2.00%	4461
2	global trading co. general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	80	FFC/2022-23/P/55 dated:-24.03.2023	solar light maintenance	26486	2.00%	530
3	global trading co. general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	120,dated 22.03.2023	FFC/2022-23/P/56 dated:-22.03.2023	gym equiptments	66954.64	2.00%	1339
							6330

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/14 दिनांक-07.10.2024 द्वारा

सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹08.45 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹844742 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	वाउचर संख्या	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	368	FFC/2022-23/P/44 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	बलबीर सिंह & स्न्स गाँव व डाकघर डरवाड,तहसील	पीवीसी पाइप,जाली,एलबो	4889

				सरकाघाट		
2	79	FFC/2022-23/P/45 दिनांक 26.03.2023	14TH FC	ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी	सोलर लाइट रिपेर	272000
3	26/21.03.2023	FFC/2022-23/P/46 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	सुरेश कुमार गाँव टिक्कर डाकघर तनिहार	स्टील	30800
4	27/07.01.2023	FFC/2022-23/P/47 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	सुरेश कुमार गाँव टिक्कर डाकघर तनिहार	एंगल व पाइप	69900
5	24/21.03.2023	FFC/2022-23/P/48 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	सुरेश कुमार गाँव टिक्कर डाकघर तनिहार	एंगल व पाइप	193500
6	30/21.03.2023	FFC/2022-23/P/49 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	सुरेश कुमार गाँव टिक्कर डाकघर तनिहार	एंगल व सरिया	27000
7	31/21.03.2023	FFC/2022-23/P/50 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	सुरेश कुमार गाँव टिक्कर डाकघर तनिहार	पाइप	41200
8	79/17.03.2023	FFC/2022-23/P/68 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	एम/एस सचिन भरारी गाँव छत्रयना डाकघर डरवाड	गेट व मजदूरी	7460
9	78/21.03.2023	FFC/2022-23/P/53 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	एम/एस सचिन भरारी गाँव छत्रयना डाकघर डरवाड	गेट व मजदूरी	7240

10	80	FFC/2022-23/P/55 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी	सोलर लाइट रिपेर	32300
11	120/22.03.2023	FFC/2022-23/P/56 दिनांक 24.03.2023	14TH FC	ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी	gym machines	81652
12	31/07.02.2023	FFC/2022-23/P/64 दिनांक 29.03.2023	14TH FC	राकेश वैल्डिंग वर्क दमसेरा तहसील सरकाघाट जिला मंडी	पाइप	21585
13	31/07.02.2023	FFC/2022-23/P/65 दिनांक 29.03.2023	14TH FC	राकेश वैल्डिंग वर्क दमसेरा तहसील सरकाघाट जिला मंडी	पाइप	36250
14	267	xvfc/2023-24/p/48 दिनांक 18.06.2023	15 TH FC	एम/एस पुरन चंद & स्न्स गाँव व डाकघर घरवासड़ा	स्टील	18966
	कुल					**844742**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/12 दिनांक 07.10.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा प्रत्युत्तर संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं

पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वयन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वन मनरेगा के तहत उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	332	139	193	399	295	295	14317	14	39900	25583
2023-24	238	137	101	425	279	279	14168	11	42500	28332

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्विन के प्रति गंभीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/17 दिनांक:-08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) बिना अनापति प्रमाण पत्र के निजी फर्म से ₹3.04 लाख की सोलर लाईट/लाईट स्ट्रीट मैंटेनेंस (maintenance) हेतु लाईट क्रय करना

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत डरवाड़ द्वारा ग्लोबल ट्रेडिंग को. सुंदरनगर मंडी से निम्न विवरणानुसार सोलर स्ट्रीट लाईट के मैंटेनेंस (maintenance) हेतु ₹304300 का क्रय किया गया था जबकि पंचायत को उक्त खरीद व मैंटेनेंस (maintenance) हि0प्र0 ऊर्जा विकास अभिकर्ण (हिमउर्जा) से की जानी अपेक्षित थी इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत द्वारा न तो उक्त विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और न ही उक्त सामग्री की स्थापना/उपयोगिता प्रमाण पत्र, सम्बन्धित वार्ड द्वारा सतर्कता समिति की रिपोर्ट, निविदा को आमंत्रित करना तथा स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे क्रय की गई सामग्री का प्रयोजन/क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का उतरदायित्व निर्धारित करते हुए किए गए अनियमित भुगतान ₹304300 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sr. no	Name of supplier	Voucher no.	Head	Item name	Amount (₹)
1	global trading co. general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	FFC/2022-23/P/45 dated:-24.03.2023	14th FC	maintenance of 9 watt semi intigrated luminar street light	272000
2	global trading co. general & government suppliers near handeti sundernagar, distt mandi	FFC/2022-23/P/55 dated:-24.03.2023	14th FC	maintenance of 9 watt semi intigrated luminar street light	32300
					304300

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/15 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था

जिसके प्रत्युतर में सचिव ने पत्र संख्याः 28 दिनाँक 08.10.2024 के अन्तर्गत सूचित किया कि भविष्य में सोलर लाईट ईत्यादि के क्रय को हि0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का उतरदायित्व निर्धारित करते हुए किए गए अनियमित भुगतान ₹304300 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथा स्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर जिला मंडी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्धित पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल के तहत की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्टरोलों को तकनिकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बंधित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे,

संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम के नियमो की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/11 दिनांक 05.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्टरोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ङ) 14 वां वित्तायोग में प्राप्त ₹0.86 लाख की राशि को पंचायत निधि में हस्तांतरित करने बारे ।

ग्राम पंचायत डरवाड विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-24 के अंकेक्षण के दौरान 14 वां वित्तायोग की रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त **₹86386** की राशि को 24.03.2023 को पंचायत निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशि सम्बन्धित अनुदान का हिस्सा है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024/GPDARWAD/16 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अधियाचना संख्या 28 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत डरवाड द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में 14 वां वित्तयोग से प्राप्त राशि **₹86386** की राशि को 24.03.2023 को पंचायत निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशि सम्बन्धित अनुदान का हिस्सा था,जिसे अंकेक्षण के सुझावानुसार सम्बन्धित निधि में हस्तांतरित करके अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा । अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

यमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(हस्ताक्षर) 16-12-24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

26 DEC 2024
6259-6263 का0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 157/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत
5. सचिव, ग्राम पंचायत डरवाड, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति0

पैरा संख्या - 4(i)
परिशिष्ट -(क)

Financial position of own sources & grants in aid of Gram Panchyat Darwad					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2884688.01	520143	3404831.01	1054304.38	2350526.63
2023-24	2350526.63	722187	3072713.63	835223.5	2237490.13

Verified
(J.A)

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्त्रोत व अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष		2237490.13
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		2346530.13
		अन्तर की राशि	109040.00

Verified

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ट -(ख)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Darwad					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1476655	1162787	2639442	318343.87	2321098.13
2023-24	2321098.13	209180	2530278.13	861571.88	1668706.25
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book					
add:-interest of ₹13717 added in pass book but not taken in cash book			13717		**1682423.25**
Balance as per Pass book					**1682423.25**
Net Difference					**nill**

सचिव
ग्राम पंचायत दरवाड
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला मण्डी हि०प्र०

पैरा संख्या-4(iii)
परिशिष्ट-(गा)

Financial position of 14 th fc of Gram Panchyat Darwad					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	2614605	86386	2700991	2645668.98	55322.02
2023-24	55322.02	21955	77277.02	0	77277.02
Bank Reconicilation as on 31 03-2024					
Balance as per cash book					77277.02
Balance as per Pass book					77277.02
Net Difference					nill

पैरा संख्या 08(क)

परिशिष्ठ-(घ)

ग्राम पंचायत डरवाड

क्रम संख्या					
क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल व वाउचर संख्या	मद का नाम	मात्रा CUM	भुगतान राशि
	14वां वित्त आयोग				
1	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/51 दिनांक 24.03.2022	रेत	4.50	8325
2	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/51 दिनांक 24.03.2022	बजरी	4.50	8100
3	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/51 दिनांक 24.03.2022	पत्थर	4.00	3200
4	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/52 दिनांक 24.03.2022	रेत	4.00	7200
5	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/52 दिनांक 24.03.2022	**बजरी**	**4.00**	**7400**
6	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/52 दिनांक 24.03.2022	पत्थर	4.00	3200
7	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/54 दिनांक 24.03.2022	रेत	**1.50**	**2775**
8	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/54 दिनांक 24.03.2022	बजरी	**3.00**	**5400**
9	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	FFC/2022-23/P/54 दिनांक 24.03.2022	पत्थर	**7.00**	**5600**
10	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	FFC/2022-23/P/57 दिनांक 27.03.2022	रेत	3.72	6324
11	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	FFC/2022-23/P/57 दिनांक 27.03.2022	बजरी	3.81	6286

12	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	FFC/2022-23/P/58 दिनांक 27.03.2022	रेत	3.72	6138
13	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	FFC/2022-23/P/58 दिनांक 27.03.2022	बजरी	1.84	3128
	15th FC				
14	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	XVFC/2023-24/P/42 दिनांक 12.06.2023	रेत	2.58	4773
15	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	XVFC/2023-24/P/42 दिनांक 12.06.2023	बजरी	4.98	8964
16	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	XVFC/2023-24/P/43 दिनांक 12.06.2023	रेत	5.09	9416
17	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	XVFC/2023-24/P/43 दिनांक 12.06.2023	बजरी	9.65	17370
18	एम/एस सचिन बरारी गाँव छतरायाना डाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर जिला मंडी	XVFC/2023-24/P/43 दिनांक 12.06.2023	पत्थर	13.56	10848
	मनरेगा				
19	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	53/22.03.2022	रेत	2.52	4284
20	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	53/22.03.2022	बजरी	3.25	5362
21	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	65/22.03.2022	रेत	2.20	3740
22	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	65/22.03.2022	बजरी	3.80	6270
23	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	62/22.03.2022	रेत	2.85	4825
24	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	62/22.03.2022	बजरी	3.25	5362

25	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	57/22.03.2022	रेत	2.64	4488
26	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	57/22.03.2022	बजरी	3.31	5461.5
27	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	68/22.03.2022	रेत	2.85	4845
28	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	68/22.03.2022	बजरी	4.25	7012
29	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	55/22.03.2022	रेत	2.85	4845
30	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	55/22.03.2022	बजरी	4.25	7012
31	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	60/22.03.2022	रेत	1.42	2414
32	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	60/22.03.2022	बजरी	2.63	4422
33	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	60/22.03.2022	पत्थर	5.64	5358
34	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	63/22.03.2022	रेत	8.68	14756
35	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	63/22.03.2022	बजरी	16.44	27126
36	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाहृ देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	63/22.03.2022	पत्थर	15.95	15152

37	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	56/22.03.2022	रेत	8.92	15164
38	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	56/22.03.2022	बजरी	16.90	27901
39	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	56/22.03.2022	पत्थर	20.00	19000
40	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	54/22.03.2022	रेत	4.88	8296
41	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	54/22.03.2022	बजरी	9.25	15262.5
42	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	54/22.03.2022	पत्थर	16.42	15599
43	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	69/22.03.2022	रेत	5.20	8840
44	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	69/22.03.2022	बजरी	8.37	13810.5
45	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	58/22.03.2022	रेत	2.48	4216
46	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	58/22.03.2022	बजरी	4.70	7755
47	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	64/22.03.2022	रेत	2.89	4845
48	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	64/22.03.2022	बजरी	4.25	7012.5

49	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	59/22.03.2022	रेत	3.70	6290
50	एम/एस ठाकुर हार्डवेर स्टोर मेन बाज़ार अवाह् देवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर	59/22.03.2022	बजरी	7.01	11566
51	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	39/21.09.2022	रेत	4.20	7140
52	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	39/21.09.2022	बजरी	6.20	10230
53	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	36/21.09.2022	रेत	3.50	5950
54	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	36/21.09.2022	बजरी	4.60	7590
55	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	37/21.09.2022	रेत	4.25	9345.75
56	अजय कुमार गाँव गाँव छत्रयानाडाकघर दरवाड तहसील धर्मपुर	37/21.09.2022	बजरी	5.25	11019.75
					474014.50

31